बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

संख्या वि० प्रा० (।) न[1]–29/06 (पार्ट–।)/-2148 दिनांक- 08.09.2015

बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 22 दिनांक 04.06.2015 के द्वारा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में प्राचार्य के रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति हेतु डा0 गणेश प्रसाद, खनन अभियंत्रण का नाम अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ। आयोग के परामर्श के आलोक में विभाग के स्तर पर गठित त्रि–सदस्यीय समिति के द्वारा डा0 प्रसाद की शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण अनुभव, प्रमाण–पत्र, आरक्षण कोटि आदि की जॉच/समीक्षा की गई। किसी भी राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान में खनन अभियंत्रण की पढ़ाई नहीं होने के आधार पर डा0 प्रसाद, खनन अभियंत्रण को राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में शिक्षण–कार्य के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया और प्राचार्य के पद पर इनकी नियुक्ति हेतु समिति द्वारा अनुशंसा नहीं की गई। फलतः प्राचार्य पद पर इनकी नियुक्ति नहीं हो सकी। उक्त निर्णय के विरूद्ध डा0 प्रसाद द्वारा पुनर्विचार हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया। अभ्यावेदन के आलोक में बाह्य विषय–विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त किया गया। बाह्य विशेषज्ञों ने इन्हें पोलिटेकनिक संस्थान में प्राचार्य के पद पर रहते हुए पठन–पाठन के कार्य के लिए भी उपयुक्त माना।

अतः विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार अन्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में प्राचार्य के रिक्त पद पर बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित अभ्यर्थी डा0 गणेश प्रसाद, खनन अभियंत्रण द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर बाह्य विषय–विशेषज्ञों से प्राप्त परामर्श के आलोक में डा0 गणेश प्रसाद, खनन अभियंत्रण को वेतनमान रू० 37400–67000, एजीपी रू० 10000, विशेष भत्ता रू० 2000 एवं समय–समय पर अनुमान्य भत्ता के अधीन प्राचार्य के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है।

2. बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में डा0 गणेश प्रसाद की आरक्षण कोटि 05 है।
3. बिहार सेवा संहिता के नियम 52 के अन्तर्गत उपरोक्त नियुक्त अभ्यर्थी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से अपना स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र योगदान के साथ समर्पित करेगें।
4. नियुक्त अभ्यर्थी अपने पूर्व पद से प्रभार परित्याग कर मुख्यालय/विभाग में एक सप्ताह के अन्दर अपना योगदान अवश्य समर्पित करेगें। इनके पदस्थापन पर अलग से विचार किया जायेगा।
5. नियुक्त प्राचार्य की वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग की उक्त अनुशंसा के मेधा कम के अनुसार निर्धारित होगी।
6. नियुक्त अभ्यर्थी की जन्म–तिथि, शिक्षण–कार्य का अनुभव, शैक्षणिक अर्हता आदि तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन में किसी भी प्रकार का यदि प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो इनकी नियुक्ति बिना किसी कारण पृच्छा की समाप्त कर दी जायेगी और इस संबंध में नियुक्ति हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

08/09/15

सरकार के अपर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक– वि० प्रा० (I) न[1]–29/06 (पार्ट–I)/– 2148 /पटना, दिनांक– 08.09.2015
प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणायलय, गुलजारबाग, पटना–7/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित) प्रेषित।

ह0/- 08/09/15
सरकार के अपर सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक– वि० प्रा० (I) न[1]–29/06 (पार्ट–I)/ 2148 /पटना, दिनांक– 08.09.2015
प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 08/09/15
सरकार के अपर सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक– वि० प्रा० (I) न[1]–29/06 (पार्ट–I)/ 2148 /पटना, दिनांक– 08.09.2015

प्रतिलिपि– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/ सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक/विभाग के सभी पदाधिकारी/बिहार के सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई. टी. मैनेजर (विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना एवं डा0 गणेश प्रसाद, खनन अभियंत्रण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 08/09/15
सरकार के अपर सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना